

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संचिका संख्या-6/एफ1-4039/2024 श्र0सं0- 3

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त,

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना।

पटना, दिनांक- 05/01/26

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपमुख्य शीर्ष-01-पुनर्वास लघु शीर्ष-202-अन्य पुनर्वास योजनाएं उपशीर्ष-0107-विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन (विपत्र कोड-26-2235012020107) के विषयशीर्ष-31.06-सहायक अनुदान गैर-वेतन मद में CFMS2.0 Software से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध रु० 16,99,500/- (रु० सोलह लाख नित्यानवे हजार पाँच सौ) आवंटन CFMS2.0 Software से किया गया है जो विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन हेतु है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।

4. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

6. श्रमायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/०

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापक: 6/एफ1-4039/2024 श्र0सं0-

33

पटना, दिनांक- 05/01/26

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त के सचिव/ वरीय प्रभारी प्रशाखा-01/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी /उप श्रमायुक्त, पटना/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by Manish Kumar

Date: 05-01-2026 15:31:45

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।

